R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड V ◆ अंक 9
मार्च 2009

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

शहरी सहकारी बैंक

अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण पुनर्रचना व्यवस्था पर विद्यमान अनुदेशों को भी उसके अनुरूप बनाया है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्रचित खातों को छोड़कर ऋण पुनर्रचना की सभी श्रेणियों पर विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे जो मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किए जाते रहेंगे। संशोधित दिशानिर्देश इस विषय पर अब तक जारी सभी अनुदेशों को अधिक्रमित करते हुए 6 मार्च 2009 के बाद पुनर्रचित सभी खातों के लिए लागू होंगे।

पात्रता मानदंड

- बैंक *मानक, अवमानक* और *संदिग्ध* श्रेणियों में वर्गीकृत खातों की पुनर्रचना कर सकते हैं।
- बैंक पूर्वव्यापी प्रभाव से उधार खातों की अवधि का पुनर्निर्धारण/ऋण की पुनर्रचना/ऋण की शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब कोई पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन हो तब सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू रहेंगे। केवल इसलिए कि पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन है, किसी आस्ति की पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्रचना पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण की जो स्थिति है वह पुनर्रचना/अवधि के पुनर्निर्धारण/ऋण की शर्तों में परिवर्तन के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निश्चित करने में प्रासंगिक होगी। यदि पुनर्रचना पैकेज की मंजूरी में अनुचित विलंब होता है तथा इस बीच खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति में गिरावट आती है तो यह पर्यवेक्षीय मामला होगा।
- सामान्यतया पुनर्रचना तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि ऋणकर्ता की औपचारिक सहमति/आवेदन द्वारा मूल ऋण करार में बदलाव/परिवर्तन न किया गया हो। तथापि, उपयुक्त मामलों में बैंक भी पुनर्रचना प्रक्रिया आरंभ कर सकता है, बशर्ते ग्राहक शर्तों से सहमत हो।
- बैंक तब तक किसी खाते की पुनर्रचना नहीं करेंगे जब तक पुनर्रचना की वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित न हो जाए तथा पुनर्रचित पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता से चुकौती प्राप्त करना विवेकसम्मत रूप से निश्चित न हो। बैंकों द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर होना चाहिए तथा इसे हर मामले के गुण-दोष को विचार में लेते हुए मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मापदंडों के भीतर विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात, प्रतिफल की आंतरिक दर और निधियों की लागत के बीच अंतराल तथा पुनर्रचित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले अपेक्षित प्रावधान की राशि को शामिल किया जा सकता है। जिन खातों को व्यवहार्य नहीं माना जा रहा है, उनकी पुनर्रचना नहीं की जानी चाहिए तथा ऐसे खातों के संबंध में वसूली उपायों में तेजी लानी चाहिए। उधारकर्ता के नकदी प्रवाह पर ध्यान न देते हुए तथा बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं/गतिविधियों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किये बिना यदि कोई पुनर्रचना की जाती है तो उसे एक कमजोर ऋण सुविधा को हमेशा के लिए कमजोर बनाने का प्रयास माना जाएगा तथा यह पर्यवेक्षी/पर्यवेक्षीय कार्रवाई का मामला होगा।
- वे उधारकर्ता जो धोखाघड़ी और कदाचार में शामिल हैं वे पुनर्रचना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- बीआइएफआर मामलों की पुनर्रचना बिना उनके स्पष्ट अनुमोदन के नहीं की जा सकती। एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली के मामले में तथा अन्य मामलों में यह सुनिश्चित करने के बाद कि पैकेज के कार्यान्वयन के पहले बीआइएफआर से अनुमोदन प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं, बैंक ऐसे मामलों में पुनर्रचना के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

विषय सूची

	पृष्ठ
शहरी सहकारी बैंक	
अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	1
सूचना	
गुजरात में हीरा उद्योग - कार्यदल की रिपोर्ट	3
भारत बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति और वित्तीय स्थिरता मंच का सदस्य बनेगा	3
नीति	
पश्चिम बंगाल में पोल्ट्री युनिटों को राहत उपाय	4
कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008	4
रिपो/प्रत्यावर्तनीय रिपो दर घटाया	4

आस्ति वर्गीकरण

अग्रिमों की पुनर्रचना निम्नलिखित चरणों में की जा सकती है :

(क) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन आरंभ होने के पहले;

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद लेकिन आस्ति के *अवमानक* वर्गीकरण के पहले;

(ग) वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद और आस्ति के *अवमानक* या *संदिग्ध* वर्गीकरण के बाद

पुनर्रचना के बाद *मानक आस्तियों* के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत *अवमानक आस्तियों* के रूप में पुनः वर्गीकृत करना चाहिए।

पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियां पुनर्रचना के पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चली जाएगी।

ऐसे सभी पुनर्रचित खाते जिन्हें पुनर्रचना के बाद अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, *विनिर्दिष्ट अवधि* (उदाहरणार्थ उस तारीख से एक वर्ष की अवधि जब ब्याज अथवा मूलधन की किस्त का पहला भुगतान पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अंतर्गत देय होता है) के दौरान उनके *संतोषजनक कार्यनिष्पादन* देखने के बाद *मानक* संवर्ग में उन्नयन के पात्र होंगे।

लेकिन जिन मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद संतोषजनक कार्य निष्पादन नहीं देखा गया है, उन मामलों में पुनर्रचित खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्रचना के पूर्व की चुकौती कार्यक्रम से संबंधित प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा।

किसी अतिरिक्त वित्तपोषण को, अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत पहला ब्याज/मूल ऋण राशि की चुकौती, इनमें जो भी पहले हो, देय होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक *मानक आस्ति* माना जाएगा। परंतु ऐसे खातों के मामले में जिन्हें पुनर्रचना के पहले *अवमानक* और *संदिग्ध* श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, अतिरिक्त वित्तपोषण की ब्याज आय नकदी आधार पर ही मान्य होनी चाहिए। उपर्युक्त विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के अंत में यदि पुनर्रचित आस्ति श्रेणी उन्नयन के लिए पात्र नहीं होती है तो अतिरिक्त वित्तपोषण को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्रचित ऋण रखा गया है।

वैसे ऋण खातों के संबंध में जिन्हें विशेष विनियामक प्रावधान प्राप्त हैं, उनकी पुनर्रचना किए जाने पर ऐसी अनर्जक आस्तियों को पुनर्रचना के पहले की उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में जारी रखा जाएगा। यदि *विशिष्ट अवधि* के भीतर खाते में संतोषप्रद कार्यनिष्पादन नहीं दिखाई देता है तो पुनर्रचना के पूर्व चुकौती अवधि कार्यक्रम के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदण्डों के अनुसार इन्हें पुनः न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में डाल दिया जाएगा।

किसी पुनर्रचित आस्ति के मामले में जो पुनर्रचना के समय मानक आस्ति है और बाद में किसी समय उसकी पुनर्रचना की जानी है तो उसे अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यदि पुनर्रचित आस्ति अवमानक या संदिग्ध आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्रचना की जाती है तो उसके आस्ति वर्गीकरण की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन वह पहली बार अनर्जक आस्ति बनी। तथापि, दूसरी बार या दो से अधिक बार पुनर्रचित ऐसे अग्रिमों का, संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन चालू पुनर्रचना पैकेज की शर्तों के अनुसार ब्याज की पहली चुकौती या मूलधन की चुकौती, जो भी पहले देय हो, उस तारीख से एक वर्ष बाद मानक संवर्ग में उसका उन्नयन किया जा सकता है।

आय निर्धारण

मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों की ब्याज आय को उपचय आधार पर तथा अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत खातों के मामले में नकदी आधार पर आय निर्धारण करना चाहिए।

प्रावधानीकरण

सामान्य प्रावधान

शहरी सहकारी बैंक विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधान रखेंगे।

पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

(i) पुनर्रचना के भाग के रूप में ब्याज दर में कमी और/अथवा मूल ऋण राशि की चुकौती की अवधि में परिवर्तन के कारण अग्रिम के उचित मूल्य में कमी आएगी। मूल्य में ऐसी कमी बैंक के लिए एक आर्थिक हानि है और इसका बैंक की ईक्विटी के बाजार मूल्य पर असर पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि बैंक अग्रिम के उचित मूल्य में आयी कमी की माप करें तथा लाभ और हानि खाते में नामे डालकर इसके लिए प्रावधान करें। ऐसा प्रावधान ऊपर में निर्दिष्ट विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंड के अनुसार किये गये प्रावधान के अतिरिक्त होगा तथा उसे सामान्य प्रावधानों के खाते से अलग खाते में रखा जाना चाहिए।

(ii) कार्यशील पूंजी सुविधाओं के मामले में नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट घटक के उचित मूल्य में कमी की गणना बकाया राशि या स्वीकृत सीमा में से उच्चतर राशि को मूल ऋण राशि तथा अग्रिम की अवधि को एक वर्ष मानकर की जानी चाहिए। डिस्काउंट फैक्टर में अवधि प्रीमियम एक वर्ष के लिए लागू होगा। मीयादी ऋण घटकों (कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण और निधिक ब्याज मीयादी ऋण) के उचित मूल्य की गणना वास्तविक नकदी प्रवाह के अनुसार तथा संबंधित मीयादी ऋण घटकों की परिपक्वता पर लागू अवधि प्रीमियम को डिस्काउंट फैक्टर में मानते हुए की जाएगी।

(iii) यदि अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले कोई जमानत ली जाती है तो जमानत की परिपक्वता तक उसका मूल्य 1 रुपया माना जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि लाभ और हानि खाते में आर्थिक क्षति प्रभारित करने का प्रभाव अस्वीकार नहीं किया गया है।

(iv) उचित मूल्य में कमी की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को पुनः की जानी चाहिए, जब तक कि सभी चुकौती दायित्व संतोषजनक रूप से पूरे नहीं कर लिये जाते हैं तथा खाते के बकाये की पूरी चुकौती नहीं हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाना है ताकि बीपीएलआर, अवधि प्रीमियम और उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में आए परिवर्तन को गणना में शामिल किया जा सके। इसके फलस्वरूप, बैंक प्रावधान में आयी कमी को पूरा कर सकते हैं या अलग खाते में रखे अतिरिक्त प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं।

(v) यदि विशेषज्ञता/समुचित मूलभूत सुविधा के अभाव में छोटी शाखाओं द्वारा दिये गये अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना सुनिश्चित करना बैंक के लिए कठिन हो तो उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना के लिए ऊपर निर्धारित क्रियाविधि के विकल्प के रूप में बैंक उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना सांकेतिक आधार पर कर सकते हैं तथा उन सभी पुनर्रचित खातों के मामले में जहां बैंक का कुल बकाया एक करोड़ रुपये से कम हो मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष तक कुल एक्सपोज़र के पांच प्रतिशत पर प्रावधान कर सकते हैं। बाद में इस स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

किसी खाते के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान (सामान्य प्रावधान सहित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान) की अधिकतम राशि बकाया ऋण राशि के 100 प्रतिशत है।

विशेष विनियामक ढांचा

विशेष विनियामक ढांचे में दो निम्नलिखित घटक हैं:

(i) पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन

(ii) पुनर्रचित खाते के आस्ति वर्गीकरण को पुनर्रचना पूर्व आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में ही रखना

पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन

पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में बैंक यदि अनुमोदित पैकेज को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर लागू करता है तो आस्ति वर्गीकरण की स्थिति बैंक द्वारा पुनर्रचना आवेदन प्राप्त होने के समय की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को उस स्तर पर पुनः स्थापित किया जाएगा। साथ ही 1 सितंबर 2008 की स्थिति के अनुसार सभी मानक खाते पुनर्रचना के बाद मानक खाते ही बने रहेंगे बशर्ते पुनर्रचना पैकेज लेने की तिथि से 120 दिनों के भीतर पैकेज कार्यान्वित किया जाए। पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए 120 दिनों का मानदंड 30 जून 2009 के बाद कार्यान्वित होने वाले सभी पुनर्रचना पैकेजों के संदर्भ में 90 दिनों का होगा।

आस्ति वर्गीकरण लाभ

(i) पुनर्रचना के बाद किसी मौजूदा *मानक आस्ति* का दर्जा घटाकर उसे अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

(ii) *निर्दिष्ट अवधि* के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करने पर *निर्दिष्ट अवधि* के दौरान अवमानक/संदिग्ध खातों के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा पुनर्रचना करने पर कम नहीं होगा।

उक्त लाभ कतिपय शर्तों के अनुपालन के अधीन उपलब्ध होंगे:

प्रक्रिया

(i) इन दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत बैंकों को संबंधित सहकारी समितियों के निबंधक के अनुमोदन से लघु और मझौले उद्यमों तथा अन्य उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्रचना योजना तैयार करनी चाहिए। बहुराज्यीय सहकारी बैंको के मामले में उक्त दिशा निर्देश निदेशक मंडल के अनुमोदन से तैयार किए जाएं।

(ii) उधारकर्ता इकाई से इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने पर पुनर्रचना की जाए।

(iii) संघ / बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत आनेवाले पात्र लघु और मझौले उद्यमों के मामले में न्यूनतम बकाया राशि वाले बैंक दूसरी बड़ी हिस्सेदारी रखनेवाले बैंक के साथ पुनर्रचना पैकेज तैयार कर सकते हैं।

(iv) संघ /बहु बैंकिंग /सिंडिकेशन व्यवस्था के अंतर्गत आनेवाले अन्य औद्योगिक इकाईयों की ऋण पुनर्रचना के लिए तथा कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) व्यवस्था के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंक भाग ले रहा है, ऐसे मामलों में बैंकों को रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों से मार्गदर्शन लेना चाहिए।

शहरी सहकारी बैंक अनुमोदित पुनर्रचना पैकेजों में ऋणदाता के चुकौती में तेजी लाने के अधिकारों तथा उधारकर्ता के समय-पूर्व भुगतान करने के अधिकार को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं।प्रतिपूर्ति का अधिकार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारित किसी कार्यनिष्पादन मानदंड पर आधारित होना चाहिए।

प्रकटीकरण

बैंकों को अपने प्रकाशित वार्षिक तुलन-पत्रों में *लेखे पर टिप्पणियां* के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों की संख्या तथा राशि के संबंध में पुनर्रचित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की मात्रा संबंधी जानकारी भी प्रकट करनी चाहिए।

सूचना

गुजरात में हीरा उद्योग - कार्यदल की रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक द्वारा गुजरात में हीरा उद्योग के सामने आ रही समस्याओं को देखने के लिए गठित कार्यदल ने रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यमान उधार खातों के नए वित्तपोषण, अबतक वित्तपोषित नहीं की गई हीरा क्षेत्र की ईकाईयों को वित्तपोषण, पुन:प्रशिक्षण/ पुन:कौशल उपलब्ध कराना/विस्थापित हीरा कामगारों के पुनर्वास तथा हीरा कामगारों को वित्तीय राहत उपलब्ध कराने सहित शीघ्र पुनर्संरचित किए जाने के लिए उपायों की अनुशंसा की है।

इस कार्यदल की आयोजन गुजरात में हीरा उद्योग के सामने आ रही समस्याओं को देखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर की माननीय वित्त मंत्री, गुजरात सरकार के वित्त राज्य मंत्री और सरकार तथा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में की गई चर्चा के अनुपालन में की गई।

भारत बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति और वित्तीय स्थिरता मंच का सदस्य बनेगा

भारत को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) और वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) का नया सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया है।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षी मामलों पर नियमित सहयोग के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है। यह समिति पर्यवेक्षी और जोखिम प्रबंधन की वैश्विक पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है और मज़बूत बनाती है।

नए सदस्य बनने के लिए आमंत्रित अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, बाज़िल, चीन, कोरिया, मैक्सिकों और रूस शामिल हैं। बासेल समिति की अभिशासन निकाय का भी विस्तार किया जाएगा ताकि इन नए सदस्य संगठनों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों को शामिल किया जा सके। समिति की सदस्यता बढ़ाने से अब उसके प्रतिनिधियों में ऑस्ट्रेलिया, बेलजियम, बाज़िल, कैनडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, कोरिया, लक्जमबोर्ग, मैक्सिको, निदरलैण्ड, रूस, स्पेन, स्विडन, स्विटज़रलैण्ड, यू.के. और अमरीका शामिल हैं।

वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) की स्थापना वर्ष 1999 में जी7 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों द्वारा परिवर्धित सूचना के आदान-प्रदान और वित्तीय बाज़ार पर्यवेक्षण और निगरानी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) का सचिवालय बासेल, स्वीटज़रलैण्ड के अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक में स्थित है।

नए सदस्य बनने के लिए आमंत्रित अन्य देशों में जी-20 देश हैं जो वर्तमान में वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) के सदस्य नहीं हैं और भारत के अलावा इनमें अर्जेंटिना, ब्राज़िल, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण आफ्रीका, टर्की, स्पेन और यूरोपियन आयोग शामिल हैं। वर्तमान वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) में जी7 देशों, आस्ट्रेलिया, हाँग काँग, नीदरलैण्ड, सिंगापुर और स्वीटज़रलैण्ड के राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकारी (केंद्रीय बैंक, पर्यवेक्षी प्राधिकारी और वित्त मंत्रालय) तथा अंतर्राष्टीय वित्त संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय विनियामक और पर्यवेक्षी समूह, केंद्रीय बैंक विशेषज्ञों की समितियाँ और यूरोपियन केंद्रीय बैंक शामिल हैं।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या MR/Tech/WPP-208/South/09-11 Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

नीति

पश्चिम बंगाल में पोल्ट्री युनिटों को राहत उपाय

भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2009 की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल की पोल्ट्री युनिटों को 01 जनवरी 2008 को बकाया गैर - अतिदेय ऋण राशि पर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता प्रदान करने के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने आर्थिक सहायता की व्याप्ति और उसकी गणना के साथ-साथ बैंकों को उसके वितरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिशानिर्देश निम्नानुसार है :

(i) ब्याज सहायता की गणना 01 जनवरी 2008 को बकाया मीयादी ऋणों तथा कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर चार प्रतिशतता अंकों पर की जाएगी। इसमें मूलधन का कोई भी वह भाग सम्मिलित नहीं होगा जो राज्य में बर्ड फ्लू के पहली बार होने की अधिसूचना से पहले अतिदेय हो गया हो।

(ii) ब्याज सहायता के रूप में राहत हेतु सभी श्रेणियों के उधारकर्ता जैसे एकल व्यक्ति, भागीदारी फर्म, निजी लिमिटेड कम्पनियाँ, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियाँ पात्र होंगी।

(iii) ब्याज सहायता में वे सभी स्वीकृत मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजीगत ऋण सम्मिलित होंगे जो मुर्गी, टर्की, जापानी क्वैल, गिनी फाउल्स, बतख, शुतर्मुर्ग और इमु से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए स्वीकृत किए गए हों जैसे क) वाणिज्यिक लेयर फार्मिंग। ख) वाणिज्यिक ब्रायलर फार्मिंग। ग) मूल पक्षियों का प्रजनन / पालन, दोनों लेयर और ब्रायलर। घ) मूल पक्षियों के जनक का प्रजनन / पालन, दोनों लेयर और ब्रायलर। ड़) शुद्ध वंशक्रम प्रजनन। च) बैकयार्ड मुर्गीपालन सहित न्यून निविष्टि प्रौद्योगिक पक्षियों के पालन के लिए इकाइयों को दिया गया ऋण। छ) मुर्गीपालन चूज़ाघर को दिया गया ऋण। ज) ऐसी आहार मिश्रण इकाइयाँ जिन्हें मुर्गीपालन इकाई के लिए संमिश्र भाग के रूप में ऋण स्वीकृत किया गया है। झ) मुर्गीपालन प्रसंस्करण संयंत्र। ञ) बैंकों द्वारा स्वीकृत किसी संमिश्र ऋण के मुर्गीपालन घटक यथा वासभूमि ऋण।

बैंक अपने समेकित दावे निर्धारित फार्मेट में मुख्य महाप्रबंधक, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, फार्म सेक्टर प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत करें। सभी दावे सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित किए जाएं।

उक्त योजना का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि पश्चिम बंगाल की पात्र पोल्ट्री इकाइयां योजना का लाभ उठा सकें।

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008

भारत सरकार ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के अंतर्गत *अन्य किसान* द्वारा पहली किस्त की चुकौती की तारीख 30 सितंबर 2008 से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 कर दी है। दूसरी तथा तीसरी किस्तों की चुकौती की तारीख 31 मार्च 2009 तथा 30 जून 2009 अपरिवर्तित रखी गई।

साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऋण राहत योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के लिए अनुमत उनके द्वारा संबंधित खाता की मानक आस्ति वर्गीकरण स्थिति प्रभावित किए बिना निपटान के उनके हिस्से का भुगतान करने के लिए पूर्व-निर्धारित अंतिम तारीखों से एक माह की अतिरिक्त समय सीमा केवल पहली दो किस्तों अर्थात् 31 मार्च 2009 को देय किस्तों के लिए उपलब्ध होगी।अंतिम किस्त के लिए समय सीमा में कोई रियायत नहीं दी जाएगी तथा किसान के ऋण का संपूर्ण हिस्सा 30 जून 2009 तक देय होगा ताकि ऋण राहत योजना के लिए *अन्य किसान* की पात्रता तथा मानक आस्ति वर्गीकरण स्थिति बनाई रखी जा सके।

रिपो/प्रत्यावर्तनीय रिपो दर घटाया

वर्तमान वैश्विक और घरेलू समष्टि आर्थिक परिस्थिति की समीक्षा करने पर रिज़र्व बैंक ने 5 मार्च 2009 से रिपो दर और प्रत्यावर्तनीय रिपो दर घटाया। संशोधित दर निम्नानुसार है:

रिपो दर

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर को 50 आधार बिंदुओं से घटाते हुए 5.5 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत किया गया।

प्रत्यावर्तनीय रिपो दर

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर को 50 आधार बिंदुओं से घटाते हुए 4.00 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत किया गया।

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म IV

1.	प्रकाशक का स्थान	: मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	: मासिक
3.	संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम	: अल्पना किल्लावाला
	राष्ट्रीयता और पता	: भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय शहीद भगतसिंह मार्ग मुंबई-400001
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	: भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगतसिंह मार्ग मुंबई-400001

मैं, अल्पना किल्लावाला, इसके द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(ह/-)
अल्पना किल्लावाला

दिनांक : 1 मार्च 2009 प्रकाशक के हस्ताक्षर

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi **पर भी उपलब्ध है।**